संख्या – 4807 /III(2)/14/लो.नि.वि./2014

प्रेषक,

डॉ.एस.एस.सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.,
देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)।

3. मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. मुख्य अभियन्ता/परियोजना निदेशक,
ए.डी.बी., लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5. मुख्य अभियन्ता,
विश्व बैंक, लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Dir.(Q|C) आवश्यक कार्यवाही हेतु

लोक निर्माण विभाग देहरादूनः दिनांक : 29 अगस्त, 2014

विषय :– राज्य अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या –3242/III(2)/14/लो.नि.वि./2014, दिनांक 26 मई, 2014 के द्वारा लोक निर्माण विभाग/ पी.एम.जी.एस.वाई./ राष्ट्रीय राजमार्ग/ए.डी.बी./ विश्व बैंक के मुख्य अभियन्ताओं के नेतृत्व में मार्गों/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु विभिन्न जांच दलों का गठन किया गया था, जिनमें अधिशासी अभियन्ताओं को भी जांच दलों में सम्मिलित किया गया था। इस प्रक्रिया में मुख्य अभियन्ताओं के नेतृत्व में एक बार में केवल नौ जांच दल ही कार्यो की गुणवत्ता का परीक्षण कर सकते थे। कार्यो की संख्या अधिक होने तथा जांच दलों की संख्या कम होने के फलस्वरुप गुणवत्ता चेकिंग के कार्यो में सन्तोषजनक प्रगति न होने तथा मुख्य अभियन्ताओं के नेतृत्व में अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं को जांच दलों में सम्मिलित किए जाने से व्यवहारिक कठिनाई महसूस की जाने लगी। अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश, 26 मई, 2014 को आंशिक संसोधन करते हुए संलग्न तालिका में यथा अंकित मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से, समय–समय पर आवंटित किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता की जांच निम्न सामान्य निर्देशों के आलोक में किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं :–

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित क्वालिटी कन्ट्रोल प्रकोष्ठ, द्वारा लोक निर्माण विभाग, ए.डी.बी. एवं विश्व बैंक पोषित सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य किया जायेगा।
2. मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने– अपने क्षेत्र/वृत्त के यथासंभव निकटवर्ती क्षेत्रों में ही गुणवत्ता की चेकिंग हेतु कार्य प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. के अनुमोदन उपरान्त, प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. द्वारा आवंटित किए जायेंगे।
3. प्रति माह मुख्य अभियन्ताओं को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत चार कार्य एक साथ ही आवंटित किए जायेंगे जिनकी वह एक माह के अन्तर्गत जांच करके गुणवत्ता आख्या निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन को उपलब्ध करायेंगे।

4. निदेशक क्वालिटी कन्ट्रोल एवं डिजायन के यहाँ प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाली आख्याओं का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए, जिन मामलों में कमी पायी जाय उनसे सम्बन्धित आख्या प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जायेगी। तद्क्रम में शासन स्तर पर जांच आख्या का विश्लेषण करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सम्यक निर्णय लिए जायेंगे।
5. जांच अधिकारी को आवंटित कार्य की जांच के दौरान कार्य से सम्बन्धित खण्ड द्वारा अपेक्षित सहयोग सुलभ कराया जायेगा और जांच अधिकारी द्वारा गुणवत्ता के सम्बन्ध में दिए गये मौखिक/लिखित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सन्दर्भित शासनादेश 26 मई, 2014 का संलग्नक–2 यथावत रहेगा।

कृपया, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अधीनस्थों से अनुपालन करायें। यहाँ यह भी सूचित करना असंगत न होगा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने का तथ्य संज्ञान में आने पर उसे गंभीरता पूर्वक लिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर दण्डनीय कार्यवाही करने के साथ–साथ वार्षिक मूल्यांकन के अवसर पर भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु किए गये प्रयासों का समुचित संज्ञान लिया जायेगा।

संलग्नक :– यथोक्त,

भवदीय,

(डॉ.एस.एस.सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 4807 /III(2)/14/लो.नि.वि./2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों/सेतुओं के संदर्भ में भी गुणवत्ता की जांच हेतु पृथक से यथोचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।
2. सचिव, लो.नि.वि, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव, लो.नि.वि.।

संलग्नक – 1

उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लो.नि.वि. तथा विश्व बैंक अथवा ए.डी.बी. वित पोषित कार्यक्रमों के तहत निर्मित / निर्माणाधीन मोटर मार्गो / सेतुओं के निर्माण कार्यो में मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से जांच अधिकारियों (मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं) की सूची :–

क्र0स0	अधिकारी का पदनाम
1	2
1	मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लो0नि0वि0, देहरादून
2	मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी
3	मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
4	मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी क्षेत्र, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
5	मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून
6	मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून
7	मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, देहरादून
8	अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून
9	अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार
10	अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
11	अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी
12	अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी
13	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग
14	अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त ,लो0नि0वि0, गोपेश्वर
15	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
16	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त (प्रा.ख. डीडीहाट / नि.ख. अस्कोट), लो0नि0वि0, पिथौरागढ
17	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त (प्रा.ख. पिथौरागढ / अ.ख. बेरीनाग), लो0नि0वि0, पिथौरागढ
18	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर
19	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल
20	अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, उधमसिंह नगर
21	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत
22	अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त (10 वां वृत्त), लो0नि0वि0, देहरादून
23	अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
24	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी
25	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़
26	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 (यू0ई0ए0पी / आपदा) वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
27	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 (यू0ई0ए0पी / आपदा) वृत्त, लो0नि0वि0, श्रीनगर
28	अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग
29	अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी
30	अधीक्षण अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़